भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3795

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेलंगाना में औद्योगिक गलियारे और औद्योगिक पार्क

3795. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तेलंगाना में विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों और औद्योगिक पार्कों की स्थिति क्या है तथा उक्त राज्य को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक गलियारों में निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त राज्य के लिए किसी नए औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) क्या तेलंगाना में उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहन उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत, भारत सरकार ने 2,361 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ अगस्त, 2024 में हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर (एचएनआईसी) के तहत तेलंगाना में ज़हीराबाद औद्योगिक क्षेत्र (जेडआईए) के विकास को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 3,245 एकड़ क्षेत्रफल वाली यह परियोजना संगारेड्डी जिले में स्थित है। नए शहरों के लिए कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी) की नियुक्ति जुलाई, 2025 में कर दी गई है और इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) संविदाकार की नियुक्ति जनवरी, 2026 में की गई है। राज्य सरकार ने विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को 2,917 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है तथा 536.22 करोड़ रुपए के बराबर की इक्विटी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से जारी कर दी गई है।

इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने तथा लगभग 1,74,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क (केएमटीपी), वारंगल को वस्त्र मंत्रालय की प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) स्कीम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की अधिकतम विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस) सहित अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने अपनी मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत एक मेगा फूड पार्क के विकास को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना में खम्मम जिले के सत्तुपल्ली स्थित बुग्गापाडु गांव में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) सहित 60 एकड़ क्षेत्र में फैला एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) शामिल हैं, जिसकी कुल अनुमोदन लागत 109.59 करोड़ रुपए है।

(ग): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत ज़हीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त, भारत सरकार ने देशभर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) स्कीम शुरू की गई है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव दायर कर सकती हैं।

(घ): तेलंगाना सरकार अपनी नई एमएसएमई नीति, 2024 के तहत राज्य में उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एनआईसीडीपी के अंतर्गत, परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) निवेशकों के लिए अनुकूल राजकोषीय और नीतिगत उपायों के साथ-साथ संभावित निवेशकों (एमएसएमई सहित) को विभिन्न रियायतें प्रदान करता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

- विशेष रूप से एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि/भूखंडों को आरक्षित तथा चिह्नित करना।
- प्रमुख/प्रारंभिक निवेशकों के लिए छूट।
- लीज प्रीमियम के भुगतान में लचीलापन।
- अलग-अलग लीज अवधि का विकल्प।

अनुबंध

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3795 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तेलंगाना की नई एमएसएमई नीति, 2024 के अंतर्गत तेलंगाना में उद्योगों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन

1.	**औद्योगिक पार्कों में भूमि संबंधी छूट**	एमएसएमई (सामान्य)	भूमि लागत की 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक।
2.		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों द्वारा लगाए गए उद्यम (सूक्ष्म एवं लघु)	भूमि लागत पर 50% छूट, अधिकतम 50.00 लाख रुपए तक।
3.	**स्टाम्प शुल्क**	सभी एमएसएमई (सामान्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि की खरीद पर उद्योग द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क एवं अंतरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति। औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि/शेड/भवन के पट्टे/गिरवी/हाइपोथिकेशन पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।
	भूमि कन्वर्जन शुल्क	सभी एमएसएमई (सामान्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन)	औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि कन्वर्जन शुल्क की 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 10.0 लाख रुपए तक।
4.	**पूंजीगत निवेश सहायता**	विनिर्माण उद्यम (सूक्ष्म एवं लघु)	25% निवेश सहायता, अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक।
		सेवा उद्यम (सूक्ष्म एवं लघु	15% निवेश सहायता,

			अधिकतम 20.00 लाख रुपए तक।
		महिला उद्यमी (विनिर्माण - सूक्ष्म एवं लघु)	अतिरिक्त 20% निवेश सहायता, अधिकतम 20.00 लाख रुपए तक (कुल 50.00 लाख रुपए तक)।
		महिला उद्यमी (सेवा - सूक्ष्म एवं लघु)	अतिरिक्त 10% निवेश सहायता, अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के स्वामित्व वाले उद्यम (विनिर्माण)	50% निवेश सहायता, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के स्वामित्व वाले उद्यम (सेवा)	35% निवेश सहायता, अधिकतम 75.00 लाख रुपए तक।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन महिला (विनिर्माण)	अतिरिक्त 20% निवेश सहायता, अधिकतम 20.00 लाख रुपए तक (कुल निवेश सहायता 1.20 करोड़ रुपए तक सीमित)।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन महिला (सेवा)	अतिरिक्त 10% निवेश सहायता, अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक (कुल निवेश सहायता 75.00 लाख रुपए तक सीमित)।
5.	**नियत विद्युत लागत की प्रतिपूर्ति**	एमएसएमई	5 वर्षों के लिए 1.00 रुपए प्रति यूनिट की दर से।
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन वाले एमएसएमई	5 वर्षों के लिए 1.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से।
6.	**राज्य माल एवं सेवा**	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	100% निवल एसजीएसटी

	कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति		5 वर्षों के लिए या स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, जो भी पहले हो।
		मध्यम उद्यम	75% निवल एसजीएसटी 7 वर्षों के लिए या स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, जो भी पहले हो।
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन वाले एमएसई	100% निवल एसजीएसटी 5 वर्षों के लिए या स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, जो भी पहले हो।
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन वाले मध्यम उद्यम	75% निवल एसजीएसटी 7 वर्षों के लिए या स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, जो भी पहले हो।
7.	**पावला वड्डी**	एमएसई	3% प्रतिवर्ष से ऊपर, 5 वर्षों के लिए अधिकतम 9% प्रतिवर्ष।
8.	**क्लीनर उत्पादन उपाय**	सभी एमएसएमई (सामान्य तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन वाले)	25% सब्सिडी, अधिकतम 5.00 लाख रुपए तक सीमित।
9.	**गुणवत्ता प्रमाणन / पेटेंट / जेडईडी / आईपीआर**	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	50% सब्सिडी, प्रति प्रमाणन अधिकतम 2.00 लाख रुपए तक सीमित।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के स्वामित्व वाले उद्यम	100% सब्सिडी, प्रति प्रमाणन अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक सीमित।
10.	**औद्योगिक अवसंरचना विकास निधि (आईआईडीएफ)**	मध्यम उद्यम	लागत का 50%, अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रुपए।
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के स्वामित्व वाले उद्यम	लागत का 75%, अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रुपए।

11.	**मेगा परियोजनाएं**	200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 1000 से अधिक रोजगार।	सरकार मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार विशेष रूप से बनाए गए लाभ प्रदान करेगी।
